भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 719

जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

.....

विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए मुआवजा

719. श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पोलावरम परियोजना प्राधिकरण ने विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) के लिए भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के लिए 33,168.23 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सिंचाई घटक, नदियों और विद्युत गृह के लिए 22,380.63 करोड़ रुपये की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो पोलावरम के अंतर्गत विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) के लिए अब तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पोलावरम के विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए 26,585.12 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जाना बाकी है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त राशि जारी किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): पोलावरम सिंचाई परियोजना के दूसरे संशोधित लागत अनुमान में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (एलए और आर एंड आर) घटकों के लिए 33,168.24 करोड़ रुपए और कार्यों एवं बिजली घटकों के लिए 22,380.64 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है, जिसे फरवरी 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा उसकी 141वीं बैठक में 55,656.87 करोड़ रुपए (2017-18 पीएल) की राशि के लिए स्वीकार किया गया था। हालांकि, संशोधित लागत समिति ने अपनी वर्ष 2024 की रिपोर्ट में ईएल + 41.15 मीटर तक के जल

भंडारण के साथ पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए संशोधित लागत हेतु 30,436.95 करोड़ रुपये का आकलन किया गया है अर्थात न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर जिसमें एलए और आर एंड आर घटकों के लिए 12,270.42 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ग) और (घ): पोलावरम सिंचाई परियोजना को मार्च, 2014 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की ओर से पोलावरम सिंचाई परियोजना निष्पादित की जा रही है। आन्ध्र प्रदेश सरकार को पोलावरम परियोजना प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग से सत्यापित बिलों और सिफारिशों की प्राप्ति पर प्रतिपूर्ति की जा रही है। मार्च, 2014 के बाद, आंध्र प्रदेश सरकार ने अक्टूबर, 2024 तक एलए और आर एंड आर के लिए 6,160.68 करोड़ रुपए का व्यय किया है, जिसमे से भारत सरकार द्वारा 6,020.59 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की गई है। इसके अलावा, भारत सरकार ने ईएल + 41.15 मीटर तक के जल भंडारण के साथ पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए संशोधित लागत अर्थात न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर के लिए 30,436.95 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया है जिसमें एलए और आर एंड आर घटकों के लिए 12,270.42 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ङ): एलए और आर एंड आर बिलों की पात्र राशियों की प्रतिपूर्ति में कोई अनुचित विलंब नहीं है और आवश्यक जांच और अनुमोदन के बाद इन पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाती है।

*****